संख्या- 73 / 3399 /चार-2015-78 (वि)/2015

प्रेषक,

राम विशाल मिश्रा
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 22 जुलाई,2015

विषयः- दिनांक 28 से 30 सितम्बर , 2015 तक दुलर्भ पाण्डुलिपियों की प्रदर्शनी हेतु 35,000/- की प्रशासनिक /वित्तीय स्वीकृति के साथ धनराशि रू0 25,000/- के अग्रिम आहरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-788/सं0नि-20 (अभि0 स्वी0)/2015-16 , दिनांक 07 जुलाई,2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 28 से 30 सितम्बर , 2015 तक दुलर्भ पाण्डुलिपियों की प्रदर्शनी हेतु 35,000 (रूपये पैतीस हजार मात्र) की प्रशासनिक /वित्तीय स्वीकृति के साथ धनराशि रू0 25,000/- (रूपये पच्चीस हजार मात्र) के अग्रिम आहरण की धनराशि को निम्न एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) यह अग्रिम आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- ए-1-2774/दस-15-1 (1) /69 दिनांक 25-10-1983 एवं शासनादेश संख्या- ए-1-235/दस-2011-15-1 (1) /69 दिनांक 10-06-2011 में दी गयी शर्तो/ प्रतिबन्धों के अनुसार किया जायेगा।

(2) अग्रिम आहरण के फलस्वरूप यदि कोई हानि होती है तो उसके लिए सम्बन्धित आहरण/वितरण अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(3) उक्त आहरण उसी दशा में किया जायेगा जब तक कि यह सुनिश्चित न कर लिया जाय कि इस हेतु यदि पूर्व में कोई अग्रिम दिया गया है तो उसका समायोजनहो चुका है।

(4) अग्रिम का समायोजन प्रत्येक दशा में विलम्बतम् दिनांक 31-03-2016 से पूर्व कर लिया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 92- के अधीन लेखाशीर्षक-2205- कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर-104- अभिलेखागार- 03-राज्य अभिलेख-42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

4- उपर्युक्त आदेश वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- ए-1-235/दस-2011-15-1 (1) /69 दिनांक 10-06-2011 द्वारा प्रशासकीय विभाग एवं विभागाध्यक्ष को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राम विशाल मिश्रा)
विशेष सचिव।

-2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

संख्या- / 3399 (1)/चार-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री जी।
3- निदेशक, उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
5 - मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/ वित्त (ई-7) अनुभाग
7 - गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(भैरव नाथ शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।